तत्काल/ फैक्स/ पोस्ट द्वारा

संख्या जेड-110025/90/2007- इमी.
भारत सरकार
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
(उत्प्रवास अनुभाग)

अकबर भवन, चाणाक्यपुरी,
नई दिल्ली, दिनांक- 26.09.07

सेवा में,
सभी पीओई.

विषय: **दिनांक 1.10.07 से आवश्यक उत्प्रवास जांच निलंबन (इसीआरएस) की प्रक्रिया के लोप के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर दिनांक 20.09.07 के प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन के तहत जारी आदेशों (प्रति संलग्न) के अनुसरण में यह कहा गया है कि **ईसीआरएस अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया का दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 से लोप किया जाता है**। इसलिए आपसे अनुरोध किया जाता है कि उक्त तिथि के बाद से किसी भी मामले में ईसीआरएस अनुपति पद्रान करने की प्रक्रिया को न अपनाएं।

2. इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 से रोजगार के अतिरिक्त किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए विदेश यात्रा करने वाले को ईसीआर पासपोर्ट धारकों को भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उत्प्रवास पटल पर मान्य पासपोर्ट, मान्य वीजा और वापसी टिकट के दिखाए जाने पर देश को छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाएगी। देश से विदेश जाने वाले और इस यात्रा की अवधि से जुड़े ऐसे सभी आंकड़ें उत्प्रवास ब्यूरो के पास रहेगा।

3. यदि दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 के बाद कोई भी व्यक्ति ईसीआर अनुमति पाने के लिए पीओई कार्यालय से संपर्क करता है तो पीओई उसे एमओआईए की एक प्रति देगा जिसके साथ पृष्ठांकित प्रति होगी जिसमें उस अधिकारी का उल्लेख होगा जिनसे इस संबंध में शिकायत, यदि कोई हो, के निवारण के लिए प्रस्थान पटल पर संपर्क किया जा सकता है।

4. पीओई से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में संबंधित सभी अधिकारियों यथा उत्प्रसाव प्राधिकारी, आरपीओ आदि के संपर्क में रहें ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि इन यात्रा उद्देश्यों के लिए प्रस्थान पटल पर संबंधित प्राधिकारियों से संपर्क करने वाले यात्रीगण अथवा व्यक्तियों को कोई असुविधा न हो या कोई उत्पीड़न न हो और वे मान्य दस्तावेजों पर देश से उनका प्रस्थान को सुकर और झंझट मुक्त बनाया जा सके।

5. इसके अतिरिक्त, आपसे अनुरोध किया जा सकता है कि अपने क्षेत्राधिकार में इन अनुदेशों को व्यापक रूप से परिचालित करें और सभी संभावित माध्यमों से इन्हें सभी आरए, आरए संघों और आम लोगों के ध्यान में लाया जाए। इन अनुदेशों को पीओई कार्यालय में सूचना पट पर भी प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।

भवदीय

(आर. सी. मीणा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 26874236 फैक्स: 24197944

सूचना, आवश्यक कार्रवाई और अनुपालन हेतु प्रतिलिपि:

1. संयुक्त निदेशक, उत्प्रवास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी संबंधित प्राधिकरणों को इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी करें।
2. संयुक्त सचिव (खाड़ी), विदेश मंत्रालय/ संयुक्त सचिव (सीएस), गृह मंत्रालय।
3. सभी आरपीओ ।
4. सभी ईसीआर देशों में स्थित भारतीय मिशन।
5. डॉ. आर. के. वर्मा, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को सॉफ्ट प्रति के साथ।

सूचना हेतु प्रति: मंत्री के निजी सचिव/ एमओआईए के सचिव के वरिष्ठ पीपीएस/ संयुक्त सचिव (एफएस) के निजी सचिव/ पीजीई के निजी सचिव/ निदेशक (ईएस) के निजी सहायक/ निदेशक (ईपी) के निजी सहायक।

(आर. सी. मीणा)
अवर सचिव, भारत सरकार